राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार–कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

–: चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु अर्थना/विज्ञप्ति :–

दिनांक :– ..../01/2018

क्रमांकः– संस्था/चि.अ./ए.टी./वि.भ./प.4/2018/

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम–1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन स्थापित चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न संवर्ग के 894 रिक्त पदों को चिकित्सा अधिकारियों से स्थाई रूप से भरने हेतु अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत एक वर्ष के प्रोबेशन काल (इन्टर्नशिप को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि का हिस्सा माना जावेगा) पर उपयुक्त अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :–

बैकलॉग

वर्ग	पुरूष	महिला	योग
1 अनुसूचित जाति	52	22	74
2 अनुसूचित जनजाति	29	12	41
कुल योग	81	34	115

नई रिक्तियां

पदों की संख्या	अनारक्षित वर्ग				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)																विशेष जन (निःशक्तजन) LD & CP (O.L.)	
					अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछडा वर्ग				एम.बी.सी.					
	सा	महिला			सा	महिला			सा	महिला			सा	महिला			सा	महिला			वर्तमान के पद	बैक लॉग के पद
		सा	वि	परि		सा	वि	परि		सा	वि	परि		सा	वि	परि		सा	वि	परि		
779	275	106	9	2	87	34	3	-	65	26	2	-	115	45	3	-	5	2	-	-	23	

नोटः– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढाई जा सकेगी।

विशेष जन (निःशक्तजन) व्यक्तियों के लिये:–

(अ) उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यार्थियों को 3% पद आरक्षित होगें इनका निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है:–
O.L.- One leg affected (R or L)
(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
O.A.- One arm affected (R or L)
(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

(ब) निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत् (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यार्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा। उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

(स) आवेदन–पत्र के यथा स्थान पर वर्ग विशेष 'निःशक्त व्यक्ति' (विकलांग) का उल्लेख करे तथा इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, की सत्यापित फोटो प्रति भी अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा प्राथी को इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों में से 8% पद विधवा महिलाओं के लिये तथा 2% पद परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। विधवा/परित्यक्ता महिला उपलब्ध नहीं होने पर इन्हें उसी श्रेणी की सामान्य महिलाओं से भरा जावेगा।

राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने की दशा में किन्ही भी परिस्थितयों में इस प्रकार की आरक्षित रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यार्थियों से नही भरा जावेगा। पिछडी जाति के योग्य एवं पात्र अभ्यार्थियों के उपलब्ध नही होने पर उक्त पदों को सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।

विकलांग अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने पर इनके आरक्षित रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यार्थियों से आगामी तीन वर्ष तक नही भरा जावेगा।

कृ0पृ0उ0

अनिवार्य योग्यता : एम0बी0बी0एस0. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ03(7)डीओपी /ए-।।/97 दिनांक 17/09/99 के प्रावधान के अनुसार। **राजस्थान मेडिकल कौंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।** रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवेदन पत्र भरवाये जाने से पूर्व अभ्यार्थियों का राजस्थान उक्त कौंसिल से रजिस्ट्रेशन होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित किया जावे व पीजी अध्ययनरत चिकित्सकों का नियुक्ति की दिनांक तक पीजी पूर्ण होने वाले अभ्यार्थी ही नियुक्ति के पात्र होंगे, की शर्त का विज्ञप्ति में उल्लेख किया जावे।

योग्यताएं/अनुभव : "देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की

अधिमान्य (हिन्दी) में : संस्कृति का ज्ञान"

पद का वेतनमान : 15600-39100 (पे बैंड 3) (ग्रेड-पे सं0 15, 5400/-) में एक वर्ष तक परिवीक्षा काल में वर्तमान में देय रूपये 39,300/- प्रतिमाह में चिकित्सा परिचर्या भत्ते के रूप में रूपये 17,400/- प्रतिमाह जोडकर रूपये 56,700/- प्रतिमाह दिया जायेगा।

(क) आयु सीमा- न्यूनतम एवं अधिकतम:- 22 वर्ष न्यूनतम एवं 47 वर्ष अधिकतम।

(ख) **अधिकतम आयु सीमा में छूट:-**

(1) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अंतर्गत:-

(i) कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक प07(2)कार्मिक/क-2/93 पार्ट दिनांक 25/05/2000 के अनुसरण में अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(ii) कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक प07(2)कार्मिक/क-2/84 भाग 18 दिनांक 30/04/2001 के अनुसरण में राजस्थान के अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।

(iii) Ex- Service Man अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

(iv) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा नही है।

(v) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/09/2000 के अनुसरण में सामान्य वर्ग के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष पिछडे वर्ग के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी।

(vi) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसरण में विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2016 को आर0यू0एच0एस0 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसलिये अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नही होगी।

पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी) में:- चिकित्सा संबंधित कार्य

मुख्यालय : राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 22'ए' में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार प्रथम नियुक्ति उपरांत तीन वर्ष की ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता में शिथिलता दी जाकर संशोधित नियम 22'ए' के तहत सुपर स्पेशलाईज्ड चिकित्सक (डीएम/एमसीएच)/पीजी डिग्री/डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त भी पदस्थापित किया जा सकेगा।

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी होने के अधिकतम एक माह में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ07(1)डी.ओ.पी./ए-।।/1995(10/03) दिनांक 08/04/03 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 30/06/06 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीयन की सूचना लिया जाना अनिवार्य है।

अभ्यार्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करना होगा। जिन पुरूष/महिला अभ्यार्थी के एक से अधिक पत्नि/पति है वे इस नियुक्ति के पात्र नही होगे। जिन अभ्यार्थियों ने अपने विवाह के समय दहेज लिया/दिया है वे इन नियुक्तियों के पात्र नही होंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।